न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 30/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01तेजाराम विश्नोई पुत्र श्री सुरजाराम जी जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01 बाबुराम विश्नोई पुत्र श्री सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ईश्वरसिह चम्पावत उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता किशनाराम विश्नोई अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांकः– 27/11/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी की सीमा के खसरा नम्बर 580 रकबा 22 बीधा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 580/2 रकबा 03 बीधा 07 बिस्वा यानि कुल रकबा 25 बीधा 08 बिस्वा आई हुई है। जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है उपरोक्त कृषि भूमि को आगे इस वाद मे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की सह खातेदारी की भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है जिसमे वर्तमान समय मे राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज सुदा है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे बंटवाडा व तरमीम नही की हुई है इसलिये प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का उपरोक्त भूमि मे संयुक्त रूप से प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का विवादग्रस्त भूमि मे आधा –आधा हिस्सा बट मे आता है तथा हिस्से अनुसार मौके पर मकान वानी का टाका बाडे इत्यादि बने हुए है परन्तु उक्त विवादग्रस्त भूमि का आज दिन तक माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन नही होने से इसके लिए यह विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा विशेष भू–भाग का कब्जा कर लेने की धमकी प्रार्थी को दी है तथा सडक के नजदीक वाले हिस्से पर कब्जा कर बेचान करने की धमकी दी है जिसका अप्रार्थी संख्या 01को कोई अधिकार नही है। विवादग्रस्त भूमि के बारे मे प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से आग्रह किया कि बटवाडा की कार्यवाही कर सह खातेदार मे जरिये विभाजन के अपना अपना हिस्सा दर्ज करवाने हेतु कहा तथा विभाजन करने की हां भरी लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने आज दिन तक विभाजन की कार्यवाही नही की तथा अभी माह जनवरी मे अप्रार्थी संख्या 01 की नीयत खराब होने से विवादग्रस्त भूमि मे से सडक के पास वाला विशेष भू–भाग व हिस्सा बेचान करने पर उतारू हो गया है तथा प्रार्थी को बंटवाडा करने से मना कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर देने की धमकी दी तब प्रार्थी को मजबूर होकर यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हो गया। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है ओर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज होने तथा लगान अदा करने के कारण इसकी घोषणा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थी द्वारा ग्राम गुडाविश्नोइयान के खसरा नम्बर 580 रकबा 22 बीधा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 580/2 रकबा 03 बीधा 07 बिस्वा यानि कुल रकबा 25 बीधा 08 बिस्वा की मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेष फरमाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विशेष भू–भाग का आगे बेचान हस्तान्तरण न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे एव राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जबाव पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया जिस पर सुना गया ।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुडा विश्नोइयान के खसरा नम्बर 580 रकबा 22 बीधा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 580/2 रकबा 03 बीधा 07 बिस्वा यानि कुल रकबा 25 बीधा 08 बिस्वा ग्राम गुडा विश्नोइयान पटवार क्षेत्र गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। जिसे भूमि पर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे। तथा मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता को बहस वास्ते अनेक अवसर दिया जाने के बावजूद उपस्थित नही अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव के आधार पर जबाव मे निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के बेबुनियाद प्रस्तुत किया गया एव खसरा नम्बर 580 रकबा 22 बीधा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 580/2 रकबा 03 बीधा 07 बिस्वा यानि कुल रकबा 25 बीधा 08 बिस्वा जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त मौके पर है तथा खसरा नम्बर 580/2 रकबा 03 बीधा 07 बिस्वा मे अप्रार्थी संख्या 01 की रहवासीय ढाणी टांका व बाडा बना हुआ है जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 मय परिवार निवास करता है वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता स्व सुरजाराम के फौत होने के बाद नामान्तरकरण भरा गया जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण भरा गया इस प्रकार कब्जे के अभाव मे प्रार्थी को कोई प्राईमा फेसी मामला नही है प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होगी और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है इस प्रकार प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार नही है इस कारण कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुडा विश्नोइयान के खसरा नम्बर 580 रकबा 22 बीधा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 580/2 रकबा 03 बीधा 07 बिस्वा यानि कुल रकबा 25 बीधा 08 बिस्वा भूमि मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे एव न ही खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

(पुखराज कासोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

निर्णय आज दिनांक 27/11/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी